

No. 1694

OSD (7)

रजिस्ट्री सं० डी- (बी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 147] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 1977/चैत्र 7, 1899

No. 147] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 1977/CHAITRA 7, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 28th March 1977

S.O. 265(E).—In pursuance of sub-section (8) of section 33A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment in its notification No. S.O. 1526, dated the 18th May, 1966 [published at pages 857-58 of Part II—Section 3—Sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary, dated 18th May, 1966], namely:—

In the said notification, in Serial No. 6, the words "excluding Meenachhil, Kanjirapally and Changanacherry Talukas" shall be omitted.

[No. 1694/F. No. 142/43/76-TPL]

S. N. SHENDE, Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1977

का० आ० 265 (अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 33 क की उपधारा (8) के अनुसरण में (भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 18 मई, 1966 के पृष्ठ 857-858 पर प्रकाशित) उसकी अधिसूचना सं० का० आ० 1526, तारीख 18 मई, 1966 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 6 में से "मीनाचिल कनजिरापल्ली और चतगनाचेरी ताल्लुकों को अपवर्जित करते हुए" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[सं० 1694/का० सं० 142/43/76-टी पी एल]

एस० एन० शेन्डे, सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टों रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 147]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 1977/चैत्र 7, 1999

No. 147]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 1977/CHAITRA 7, 1999

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 28th March 1977

S.O. 265(E).—In pursuance of sub-section (8) of section 33A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment in its notification No. S.O. 1526, dated the 18th May, 1966 [published at pages 357-58 of Part II—Section 3—Sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary, dated 18th May, 1966], namely:—

In the said notification, in Serial No. 6, the words "excluding Meenachhil, Kanjirapally and Changanacherry Talukas" shall be omitted.

[No. 1694/F. No. 142/48/76-TPL]

S. N. SHENDE, Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1977

का० आ० 265 (अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 33 क की उपधारा (8) के अनुसरण में (भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 18 मई, 1966 के पृष्ठ 857-858 पर प्रकाशित) उसकी अधिसूचना सं० का० आ० 1526, तारीख 18 मई, 1966 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 6 में से "मीनाचिल कनजिरापल्ली और चनगनाचेरी ताल्लुकों को अपवर्जित करते हुए" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[सं० 1694 फा० सं० 142 43 76-टी पी एल]

एस० एन० फ्रेन्डे, सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977